फा. संख्या 6/23/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 29 सितम्बर 2023

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>

मामला संख्याः एडी (ओआई) - 22/2023

विषय : चीन जन. गण. में मूलत: उत्पन्न या वहां से निर्यात होने वाले "थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन (टीपीयू)" के आयात के संबंध में पाटन रोधी जांच की शुरुआत।

1. **फा. संख्या 6/23/2023 - डीजीटीआर -** मेसर्स कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'आवेदक' के रूप में संदर्भित) ने 1995 और उसके बाद यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिस आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के नियमों के अनुसार निर्दिष्टि प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (इसके बाद "विषय देश" के रूप में संदर्भित) से उत्पन्न या निर्यात किए गए "थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन (टीपीयू)" (इसके बाद 'संबंधित वस्तु' या 'विचाराधीन उत्पाद' के रूप में संदर्भित) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और उचित पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि सम्बंधित देश से उत्पन्न या वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति और क्षति का खतरा हो रहा है और उसने सम्बंधित देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

<u>क.विचाराधीन उत्पाद</u>

3. विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित "थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन" ("टीपीयू") है । टीपीयू एक पिघल-प्रक्रिया योग्य थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमेर है जिसमें प्लास्टिक और रबर के अद्वितीय गुण होते हैं, जिसमें लोच, पारदर्शिता और तेल ,

ग्रीज़ और घर्षण का प्रतिरोध शामिल है। टीपीयू थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमेर है जिसमें रैखिक खंडित ब्लॉक कॉपोलीमर होता है जो कठोर और नरम खंडों से बना होता है। विचाराधीन उत्पाद में टीपीयू जोकि पाउडर, ग्रैन्यूल्स, छर्रों, असंशोधित या रंगों, भराव या अन्य एडिटिव्स द्वारा संशोधित रूप मे हो सकत है, शामिल है।

4. टीपीयू एक अद्वितीय प्रकार का प्लास्टिक है जो रबर और प्लास्टिक के बीच की खाई को पाटता है। टीपीयू एक तरफ रबर और दूसरी तरफ थर्मोप्लास्टिक सामग्री को चिह्नित करने वाली कई शक्तियों को जोड़ता है। उदाहरण के लिए टीपीयू को तन्यता और संपीड़ित भार के तहत विकृत किया जा सकता है। लेकिन बाद में अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। इसके अलावा, इसे गर्म होने पर खींचा जा सकता है, और जब गर्म भी किया जाता है, तो उन्हें बार-बार पिघलाया और ढाला जा सकता है। टीपीयू की बहुमुखी प्रतिभा की कुंजी यह है कि इसकी कठोरता को अत्यधिक अनुकूलित किया जा सकता है। टीपीयू रबर की तरह नरम या कठोर प्लास्टिक की तरह कठोर हो सकता है। टीपीयू पकड़ प्रदान करने के लिए पारदर्शी या रंगीन या कठोर या नरम / चिकना हो सकता है।

5. टीपीयू पॉलीओल्स (पॉलिएस्टर या पॉलीथर या पॉलीकैप्रोलैक्टोन आधारित या इनमें से एक संयोजन), डायसोसाइनेट्स और शॉर्ट-चेन डायोल्स की प्रतिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। विशेष गुणों को प्राप्त करने के लिए इनमें एडिटिव्स जोड़े जा सकते हैं। सभी तत्वों के संयोजन से कठोरता और यांत्रिक गुणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त की जा सकती है। विचाराधीन उत्पाद आवेदक द्वारा विभिन्न ग्रेड में पेश किया जाता है। हालांकि ये अलग-अलग ग्रेड केवल गुणों के संदर्भ में भिन्न हैं। जिन्हें प्रक्रिया मापदंडों पर नियंत्रण और विशिष्ट एडिटिव्स के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी ग्रेड एक वस्तु के रूप में समान रहते हैं।

6. उत्पाद के दायरे में पॉलिएस्टर-आधारित टीपीयू के साथ-साथ पॉलीएथर-आधारित टीपीयू शामिल हैं और पॉलीकैप्रोलैक्टोन-आधारित टीपीयू को विशेष रूप से उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

7. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मोटर वाहन उपकरण पैनलों, कृषि (पशु आईडी टैग), कास्टर पहियों, बिजली उपकरण, खेल के सामान, चिकित्सा उपकरणों, ट्यूब व नली, बेल्ट और प्रोफाइल उद्योग, फुटवियर, इनफ्लेटेबल राफ्ट, एक्सट्रूडेड फिल्म, शीट और प्रोफाइल अनुप्रयोगों की विविधता, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बाहरी मामलों, लैपटॉप के लिए कीबोर्ड रक्षक आदि सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। टीपीयू, प्रीमियम मोटरसाइकिल

के साथ-साथ यात्री कार बाजार के अंदरूनी हिस्से में रबर और पीवीसी(पोलयविनयल क्लोराइड) का स्थान ले रहा है ।

8. जांच अधीन उत्पाद का आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के कस्टम टैरिफ शीर्षक 39095000 के अंतर्गत किया जा रहा है। हालांकि, यह संभव है कि विषय वस्तुओं को अन्य शीर्षकों के तहत भी आयात किया जा सकता है और इसलिए, सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

9. वर्तमान जांच के पक्ष प्राधिकारी के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर ,पीयूसी पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं और पीसीएन, यदि कोई हो, प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

10. आवेदक ने दावा किया है कि जिन वस्तुओं को भारत में पाटित करने का आरोप लगाया गया है वे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। तकनीकी विनिर्देशों, गुणवत्ता, कार्यों और दो उत्पादों के अंतिम उपयोग में कोई ज्ञात अंतर नहीं हैं। प्राधिकारी ने नोट किया कि दोनों प्रथम दृष्टया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। इसलिए वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को संबन्धित देश से आयात की जा रही विषय वस्तुओं के लिए "समान वस्तु" के रूप में माना गया है।

ग. संबद्ध देश

11. वर्तमान जांच में विषय देश चीन जन. गण. है।

घ. जांच की अवधि

12. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 है। क्षति की जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2019 - 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल, 2020 - 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 - 31 मार्च, 2022 और पीओआई शामिल हैं।

ड. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

13. आवेदन कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि यह भारत में विषय वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है जो भारतीय उत्पादन का 100% है और इसलिए वर्तमान आवेदन दायर करने के लिए आवश्यक आधार है।

14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार इसने चीन जन. गण. में संबंधित उत्पादक / निर्यातक से विषय वस्तु को आयात किया है। इस तरह के आयात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी उचित जांच के बाद नोट करता है कि आवेदक नियम 2 (बी) के प्रावधानों के संदर्भ में पात्र घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन नियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में मानदंडों को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) (i) और एडी नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन जन. गण. में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, केवल तभी जब जवाब देने वाले चीनी उत्पादक प्रदर्शित करते हैं कि उनकी लागत और मूल्य की जानकारी बाजार संचालित सिद्धांतों पर आधारित है और उचित तुलना की अनुमति देती है। एडीडी नियमों के अनुबंध-I के पैरा 1 से 6 तक, ऐसा न करने पर चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

16. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या मूल्य से संबंधित डेटा या अन्य वैकल्पिक तरीकों का सहारा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य का निर्माण उचित लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों को विधिवत समायोजित करने के बाद उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार विषय वस्तुओं के घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया गया है।

निर्यात कीमत

17. वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के आधार पर संबंधित वस्तुओं के लिए निर्यात मूल्य की गणना की गई है। एक्स-

फैक्टरी स्तर पर कीमतों को बनाने के लिए उचित मूल्य समायोजन का दावा किया गया है ताकि वे सामान्य मूल्य के साथ तुलनीय हो जाएं।

पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्टरी स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबंधित देश से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद को संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के बारे में सबूत प्रस्तुत किए हैं जिसमे उत्पादन या खपत के संबंध में पाटित किए गए आयात की मात्रा में वृद्धि , मूल्य में कमी, मूल्य कम बिक्री और घरेलू उद्योग पर मूल्य दमन और निराशाजनक प्रभाव शामिल है । आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग के लिए हानिकारक मूल्य पर विचाराधीन उत्पाद के आयात में वृद्धि के परिणामस्वरूप बिक्री, लाभप्रदता, निवेश पर रिटर्न, इन्वेंट्री के संचय और क्षमता उपयोग के संबंध में इसके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रथम दृष्टया इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबंधित देश से पाटित किए गए आयात से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

20. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तु का पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और इस तरह के कथित पाटन और क्षति के बीच कारण संबंध के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद और एडी नियमों के नियम 5 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार, प्राधिकारी इसके द्वारा संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विषय वस्तु के संबंध में किसी भी कथित पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटन रोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए एक जांच शुरू करता है,जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

झ. प्रक्रिया

21. वर्तमान जांच में एडी नियम, 1995 के नियम 6 के तहत निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

22. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों singh.shivam@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

23. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जो विषय वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें।

24. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से जांच के लिए प्रासंगिक अपनी प्रस्तुतियां दे सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पक्षों को इसका एक गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

ट. समय सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी **निर्दिष्ट** प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर निम्नलिखित ईमेल पतों adg14-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in और singh.shivam@gov.in पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए या नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित की जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

26. सभी इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुतीकरण करने या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले किसी भी पक्ष को नियमों के नियम 7 (2) के संदर्भ में उसी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता प्रतिक्रिया / प्रस्तुतियों की अस्वीकृति का कारण बन सकती है।

28. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुति (परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने होंगे।

29. गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" प्रस्तुतियों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के अंकन के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकारी द्वारा गैर-गोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य इच्छुक पक्षों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

30. गैर-गोपनीय संस्करण को गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त हो जाती है (यदि अनुक्रमण संभव नहीं है) और उस जानकारी के आधार पर संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है। गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार की उचित समझ हो सके। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश संभव नहीं है, और कारणों का एक बयान कि सारांश क्यू संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

31. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

32. गोपनीयता के दावे पर सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण के बिना या अच्छे कारण विवरण के बिना किए गए किसी भी निवेदन को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

33. इच्छुक पक्ष प्राधिकारी के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

ड. सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण

34. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य जानकारी को अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।

ढ. असहयोग

35. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस प्रारंभिक अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उचित अवधि के भीतर या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, तो प्राधिकारी ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जैसा कि उचित लगता है।

(अनुव्रत स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी